

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24 अटल नगर, रायपुर (छोगो)
ईमेल— secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/12/2022

क्रमांक / 52/04/योजना/बीओसी/2022.....127..... “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित “विशेष शिक्षा सहायता योजना” में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 66 दिनांक 10.07.2018 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :—

(क) योजना का प्रावधान :-

1. योजना का नाम ‘विशेष शिक्षा सहायता योजना’ होगा।
2. योजना के तहत ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीयन से 01 वर्ष पश्चात होती है, तो मंडल उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना/मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना/तकनीकी शिक्षा योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ पात्रतानुसार मृतक के प्रथम 02 संतानों को दिया जावेगा।
3. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ख) योजना हेतु पात्रता :-

1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के ऐसे (पुत्र-पुत्री) जिनके (माता-पिता) दोनों की मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक (माता-पिता) में से कोई भी मंडल अंतर्गत न्यूनतम 01 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत रहा हो योजनांतर्गत पात्र होंगे।
2. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 संतानों को लाभ की पात्रता होगी।
3. मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता-पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

✓
M

निरंतर.....2

(ग) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

1. योजनांतर्गत पंजीकृत माता/पिता के मृत्यु दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा, आवेदन स्वीकृति उपरांत मृतक श्रमिक के बच्चों हेतु अलग-अलग दो विशेष श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किया जावेगा।
3. आवेदक स्वयं अथवा च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
4. योजना के तहत ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-
 - 4.1 माता अथवा पिता में से किसी एक हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति।
 - 4.2 आवेदक के आधार कार्ड की प्रति।
 - 4.3 आवेदक के बैंक पास बुक की प्रति।
 - 4.4 लाभार्थी का फोटो।
 - 4.5 आवेदक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति। (आवेदक से तात्पर्य मृतक निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री से है।)

टीप :- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) स्वीकृति का अधिकार :-

पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

(ङ.) भुगतान की प्रक्रिया:-

योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक के खाते में आर०टी०जी०एस०/ एन०ई०एफ०टी०/डी०बी०टी० के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जावेगा।

(च.) विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छ) योजना की प्रभावशीलता :-

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

✓
११/१२/२२
(सविता मिश्रा)
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ०कमांक/52/04/योजना/बीओसी/2022/ 5396 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०९/१२/२२ प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला—रायपुर (छ०ग०)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लाक—A, एकात्म पथ, सेक्टर—24, अटल नगर नवा रायपुर (छ०ग०)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड—03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड—03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ०ग०)।
6. कल्याण आयुक्त, छ०ग० श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू भांति नगर, रायपुर (छ०ग०)।
7. समस्त जिला कलेक्टर,(छ०ग०)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ०ग०)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला—रायपुर (छ०ग०)।
10. समस्त जिला कलेक्टर,(छ०ग०)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ०ग०)
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय(छ०ग०)।

13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छोगो) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छोगो)।
16. एनोआईसी० शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छोगो) की ओर तत्काल वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

✓
१२/१२/२०२१
सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी० ३सी०, २४४-२४५, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-२७, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 10/07/2018

क्रमांक ६६ “भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996” सहपठित “छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008” के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के बच्चों हेतु निम्नानुसार योजना बनाती है:-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम “विशेष शिक्षा सहायता योजना” होगा।

- योजना के तहत ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीयन से 01 वर्ष पश्चात होती है, तो मण्डल उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना/मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना/तकनीकी शिक्षा योजना के समर्त प्रावधानों का लाभ पात्रतानुसार मृतक के प्रथम 02 संतानों को दिया जावेगा।

(ii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना की पात्रता :-

(i) योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 संतानों को लाभ की पात्रता होगी।

(ii) मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता-पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत मण्डल के वेबसाइट में ऑन-लाईन आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया जावेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :-

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा सहायता राशि आवेदक के खाते

में स्थानांतरित की जावेगी।

(इ) विसंगति का निराकरण—

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(पदुम सिंह एल्मा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10/07/2018

पृष्ठ 40 / 2018 / 4906 - 4914

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी(छ0ग0)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा(छ0ग0)
7. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेखा है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर